[16/12/2024] परिशिष्ट - 1

कार्यालय प्राचार्य, गो0 तो0 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा जिला रतलाम (म0 प्र0)

Phone: - 07414-229202 web-site: - www.gpcjaora.ac.in Email: pringtgp.jaortm@mp.gov.in

प्रश्न क्रमांक : 507 (घ)

विषय: रिड़ेसीफीकेशन एवं इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना है।

अनुलग्नक (3) रिड़ेसीफीकेशन योजना

- रिड़ेसीफीकेशन हेतु खसरा क्र 1149,1193/1,1194,1197,1198 विक्रय हेतु वर्ष 2022 में प्रस्तावित किये गये है। उस समय ऋण वसूली अधिकरण म.प्र. एवं छ.ग जबलपुर द्वारा अटेचमेंट नोटिस जारी नहीं किया गया था।
- रिड़ेसीफीकेशन के अंतर्गत जिस भूमि पर महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक, प्रशासकीय, शासकीय , सार्वजानिक, एवं अर्धसार्वजानिक एवं अन्य सुविधाएँ का निर्माण किया जाना है वह खसरा क्र 1146(4.351 हेक्टेयर) एवं 1147,1148 (7.372 हेक्टेयर) है जिस पर वर्तमान में ऋण वसूली अधिकरण म.प्र. एवं छ.ग जबलपुर द्वारा इस भूमि पर अटेचमेंट आदेश दिनांक 25/07/2024 को प्राप्त हुआ।
- यदि शेष भूमि का विक्रय किया जाता है (जैसा की प्रस्तावित है) तो भविष्य में उक्त खसरों (जिस पर निर्माण किया जाना है) उस पर ऋण वसूली अधिकरण म.प्र. एवं छ.ग जबलपुर द्वारा यदि विपरीत निर्णय होता है तो पॉलिटेक्निक महाविध्यालय को संचालित करने हेतु संस्था का पास भूमि शेष नहीं रह जावेगी
- अतः ऋण वसूली अधिकरण म.प्र. एवं छ.ग जबलपुर के अंतिम निर्णय तक रिड़ेसीफीकेशन योजना का क्रियान्वयन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्राचार्य

गो.तो पॉलिटेक्निक महा.विद्यालय

जावरा जिला रतलाम

परिशिष्ट–2

कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.

क्रमांक 2540/हा.बोर्ड/पुनर्घनत्वीकरण/कलेक्टर/2024–25 रतलाम/दिनांक 03/11/2024

प्रति,

आयुक्त
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल पर्यावास भवन, भोपाल

विषय :– पुनर्घनत्वीकरण नीति–2022 के अंतर्गत जावरा जिला रतलाम में स्थित गो.तो. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पुनर्घनत्वीकरण विषयक।

संदर्भ :– 1. अपर आयुक्त–2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल का पत्र क्र. 3288 दिनांक 02.11.2022 (उपायुक्त वृत्त उज्जैन को सम्बोधित)
2. जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.10.2024

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि जावरा जिला रतलाम स्थित गो.तो. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पुनर्घनत्वीकरण बाबत् प्रस्ताव पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्र. 1812 दिनांक 14.06.2022 द्वारा प्रेषित किया गया था, किन्तु अपर आयुक्त–2 म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल के पत्र क्र. 3288 दिनांक 02.11.202 द्वारा निवर्तन की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधक विभाग की नीति के अनुसार कराये जाने के निर्देश उपायुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल वृत्त उज्जैन को दिये गये थे।

इस संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 04.10.2024 को किया गया।

पुनर्घनत्वीकरण में महाविद्यालय की कुल भूमि 21.816 हैक्टेयर में से 10.093 हैक्टेयर भूमि निवर्तन हेतु प्रस्तावित हैं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुझावित कार्य प्रस्ताव में सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित कार्य–

क्र.	कार्य का नाम	लागत
1	महाविद्यालय हेतु शैक्षणिक भवन प्रशासकीय भवन, अतिथि गृह एवं बालक छात्रावास का निर्माण	रू. 1476.86 लाख
2	महाविद्यालय प्राचार्य स्टाफ हेतु आवास गृहों का निर्माण	रू. 306.68 लाख
3	राजस्व विभाग हेतु 12 आवासीय गृहों का निर्माण	रू. 225.28 लाख
4	पर्यवेक्षण शुल्क, जी.एस.टी. एवं सफलता शुल्क	रू. 522.23 लाख
	कुल	रू. 2531.05 लाख

भूमि के व्ययन से रू. 2622.59 लाख प्राप्त होंगे जिससे लगभग रू. 2531.05 लाख के शासकीय निर्माण किये जावेंगे और शेष राशि रू. 91.54 लाख शासकीय कोष में जमा किये जावेंगे।

प्राचार्य गो.तो. पॉलिटेक्निक जावरा द्वारा बैठक में अवगत कराया कि ऋण वसूली ट्रिब्यूनल जबलपुर में लंबित प्रकरण क्र. TAEX 290/2000 हैं जिसमें निवर्तन हेतु प्रस्तावित सर्वे नं. सम्मिलित नहीं हैं तथापि शासन हित संरक्षित करते हुए प्रकरण निराकृत कराये जाने के प्रयास प्रगति पर हैं।

संलग्न प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन, कृपया राज्य स्तरीय साधिकार समिति की ओर आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन

कलेक्टर
जिला रतलाम म.प्र.